रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 381] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 18, 1972/श्रावण 27, 1894
No. 381] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 1972/SRAVANA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August 1972

S.O. 557(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by section 3 of the said Act to make orders under clauses (c), (d) and (f) of sub-section (2) of that section shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of the State of Gujarat, in that State.

This order shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India and shall remain in force upto and inclusive of the 31st January, 1973.

THE SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

(i) Hay.
(ii) Grass.
(iii) Chara.
(iv) Kadabi.
(v) Karab or Karabi.
(vi) Bhusa.
(vii) Paddy straw.

[No. 24-4/72-L.D.III.]

V. K. MALIK, Director (AH & SF).

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1972

का० आ० 557(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा, उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ) और (च) के अधीन आदेश देने के लिए, उसको प्रदत्त शक्तियां, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी किस्म के पशुचारे के सम्बन्ध में, गुजरात राज्य के सरकार द्वारा भी उस राज्य में प्रयोक्तव्य होंगी।

यह आदेश भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और 31 जनवरी, 1973 तक, जिसमें यह सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

अनुसूची

पशुचारे की किस्में

(i) सूखी घास।

(ii) घास।

(iii) चारा।

(iv) कदवी।

(v) कर्ब या कर्बो।

(vi) भूसा।

(vii) धान का पुआल।

[सं० 472-4/72-एल० डी० III]

वि० के० मलिक,

निदेशक (ए० एच० और एस० एफ०)।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972